उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास विभाग-6
संख्याः 1435/77-6-09-LC-29/09
लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः निर्णय अनुपालन अनुश्रवण समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अंतर्गत उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध दण्डारोपण।

औद्योगिक विकास विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 1130/77-6-09, दिनांक 18 जून, 2009 के द्वारा राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु 'निर्णय अनुपालन अनुश्रवण समिति' का गठन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु के निर्णयों का अनुपालन समयबद्ध रूप से करवाने के लिये विभाग के प्रमुख सचिव अथवा सचिव (जहां सचिव के पास स्वतंत्र प्रभार है) स्वयं उत्तरदायी होगें। यदि किसी विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक स्तर पर निर्णय का अनुपालन नहीं होता है, तो विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव (स्वतंत्र प्रभार) का यह उत्तरदायित्व होगा कि संबंधित के संज्ञान में स्थिति लाते हुए निर्णय का अनुपालन समय से करने का स्पष्ट निर्देश दें। यदि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी निर्णयों का अनुपालन समय पर नहीं होता है तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी। यदि प्रमुख सचिव/सचिव (स्वतंत्र प्रभार) निर्णयों का अनुपालन करने में असमर्थ रहते हैं तथा संबंधित प्रबंध निदेशक/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं करते हैं, तो मुख्य सचिव संबंधित प्रमुख सचिव अथवा सचिव (स्वतंत्र प्रभार) के विरूद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसे प्रकरण को औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के संज्ञान में भी लाया जायेगा। उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1130/77-6-09, दिनांक 18 जून, 2009 उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्याः 1435(1)/77-6-09तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समिति के सदस्यगण।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
4. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।

7. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8. मुख्य सचिव महोदय के स्टॉफ ऑफिसर।
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ.प्र. कानपुर।
10. अवस्थापना परियोजनाओं से संबन्धित समस्त विकास प्राधिकरण, निगम/ परिषद/स्वयायी संस्थायें, उ.प्र.।
11. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

आज्ञा से,

(वी.एन. गर्ग)
प्रमुख सचिव।